न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 54/2019

1– रामप्रसाद पुत्र रामगोपाल जाति जांगिड़ निवासी गौरव पथ, लाडनूं तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1– राजस्थान सरकार, जरिये पटवारी हल्का लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

2– तहसीलदार लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री शेरसिंह जोधा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध आदेश मुकदमा नम्बर 21/2017 बअनुवान राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का लाडनूं बनाम रामनिवास निर्णय दिनांक 29.04.2019 अज अदालत तहसीलदार लाडनूं को अपास्त करने बाबत।

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक:07.12.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 21/2017 बअनुवान पटवारी हल्का लाडनूं बनाम रामप्रसाद में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2019 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लाडनूं ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम लाडनूं के खसरा नम्बर 1639

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

रकबा 14–18 बीघा भूमि किस्म गै0मु0 खड्डा में से रकबा 00.02 बीघा भूमि पर संवत 2074 में अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 00.02 बीघा किस्म गैर मु0 खड्डा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 00.02 बीघा गैर मुमकिन खड्डा से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर 0.45 रूपये के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 3/– अक्षरे तीन रूपये कायम किया गया।

{3} –अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :–

{3}(1)–यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) –यह है कि चुनौतिग्रस्त अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.4.2019 को पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी को उसके प्रकरण में सम्पूर्ण पक्ष रखने एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर बिना कोई गोर फरमाये ही तथा बिना अपीलार्थी का पक्ष सुनने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित

अतिरेक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.04.2019 निरस्त फरमाया जाने योग्य है।

{3}(3) –यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने जबाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न फेरियस्त दस्तावेज के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा क्रयसूदा भूमि का इमारती पटटा तत्कालीन जागीरदार ठिकाना लाडनूं द्वारा सम्वत 2000 का पोष बदी 13 का फलावट 5850 वर्गगज का सरावगी गंगवाल बच्छराज घमण्डीराम बेटा पोता सुखदेव के नाम से जारी किया हुआ है। राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र संख्या प–6''42'' राजस्थान 58 दिनांक 05.01.1993 के पैरा संख्या 6 में स्पष्ट प्रावधान है कि तत्कालीन जागीरदार द्वारा जिस किसी भी भूमि को आबादी भूमि के रूप में हस्तान्तरित कर दिया गया है उसके संबंध में रेवेन्यू एक्ट के तहत किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं उठाया जा सकता । उपरोक्त पटटाधीन भूमिया आबादी कस्बा लाडनूं की भूमियां है जिस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार से कोई भी अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही करने का अधिकारीता व क्षेत्राधिकार न होते हुए भी उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{3}(4)–यह है कि प्रार्थीया अपीलार्थीया ने जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.04.2005 को उप पंजीयक कार्यालय लाडनूं में पंजीबद्ध द्वारा फलावट 2880 वर्गफुट भूमि है जिस पर क्रय दिनांक से ही प्रार्थीया अपीलार्थीया का साधिकार कब्जा अधिपत्य चला आ रहा होते हुए भी उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज फरमाया जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(5) – यह है कि उक्त आलोच्य आदेश अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जो उक्त अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पदेन उप पंजीयक के रूप में भी कार्य करते है एवं अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

के वर्तमान तथा पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपरोक्त आलौच्य आदेश मे वर्णित खसरा नम्र 1639 से संबंधित भूमियो का पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनेको पक्षकारों द्वारा समय समय पर हस्तान्तरित की जाकर विक्रय विलेखों को पंजीबद्ध किया जा चुका है एवं उपरोक्त विक्रय विलेखों के निष्पादन एवं पंजीबद्ध के समय अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पदेन उप पंजीयक के तौर पर हस्तान्तरित भूमियों का मौका निरीक्षण भी समय समय पर किया गया है एवं वक्त मौका निरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी पीठाशीन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अतिक्रमण सम्बन्धी रिपोर्ट उपरोक्त खसरा नम्बर 1639 के आबाद व्यक्तियो के विरूद्ध कभी भी नहीं की गयी है। उक्त अतिक्रमण संबंधि रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा आपसी द्वैषता से ग्रसित होकर निराधार तथ्यों व कपोल कल्पित आधारों पर गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जिस पर अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद भी अपीलार्थी के उक्त दस्तावेजों पर बिना कोई गौर फरमाये ही प्राकृतिक न्याय व विधि की मंशा के विपरित जाकर आलौच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

{3}(6) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय आदेश में भू अभिलेख की हैसियत से जारी आदेश पत्रांक भू0अ0/2017/1032–1038 दिनांक 08.4.2017 के तहत गठित टीम द्वारा किये गये सींमाज्ञान रिपोर्ट को भी आधार माना है जबकि उपरोक्त सीमांज्ञान हेतु गठित टीम के समक्ष प्रार्थी अपीलार्थी ने अपनी अधिकारिता कब्जा अधिपत्य सूदा भूमि के सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे जो कि उक्त सीमाज्ञान टीम की रिपोर्ट में भी वर्णित किया गया है कि प्रार्थी अपीलार्थी अपने मालिकाना दस्तोजों के अनूसार मौके पर काबिज है एवं प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के आदेश से उपरोक्त खसरान भूमि को समय समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पक्ष में उपरोक्त खसरान भूमि 1639 में से अधिकांश भूमियां गैर मुमकिन आबादी दर्ज होने का आदेश भी प्रस्तुत किया था जो कुछ भूमियां आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

दरामद नहीं है जिसके बावजूद भी उपरोक्त सींमाज्ञान रिपोर्ट को आधार मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्त होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(7) –यह है कि आलोच्य आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 1639 के गिरदावरी सम्वत 2010 से 2013 में भी भूमि पर कब्जा काश्त तत्कालीन जागीरदार से प्राप्त पट्टाधारी लक्ष्मीनारायण के नाम दर्शाया गया है जो कि गिरदावरी एक राजस्व रिकॉर्ड होकर सरकारी दस्तावेज है जिससे भी प्रमाणित हे कि उपरोक्त भूमि पर वर्तमान काश्तकारी व भू राजस्व अधिनियम के प्रभाव में आने लागू होने से पूर्व ही साधिकार कब्जा काश्त तत्कालीन समय के कब्जाधारी के पास ही था जिससे प्रमाणित माना जाना चाहिये है कि उपरोक्त आलोच्य आदेश में गलत रूप से वर्णित अतिक्रमित बताई जा रही भूमि पर शुरू से ही कब्जा अधिकार पट्टाधारी का था एवं उपरोक्त पट्टाधारियों द्वारा समय समय अन्य क्रेताओं के पक्ष में उक्त भूमि बाड़ा आधारित हस्तान्तरित कर दी गयी हस्तान्तरित होते होते प्रार्थीया अपीलार्थीया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के उपरोक्त भूमि को क्रय किया है तथा उपरोक्त भूमि को गिरदावरी सम्वत् 2013 में भी जागीर गैर मकबुजा के रूप में दर्शित किया गया है जो जागीर सम्पति होने के कारण तत्कालीन जागीरदार को उक्त भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के लिये पट्टा जारी करने का पूर्ण अधिकार था एवं उक्त अधिकारिता के तहत ही आबादी भूमि के रूप में पट्टा जारी किया गया था जो आबादी भूमि की आज दिन भी आबादी भूमि के रूप में ही उपयोग एवं उपभोग में ली जा रही है उपरोक्त भूमियों का समय पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बतौर पदेन उप पंजीयक के रूप में दस्तावेजों को पंजीकृत भी किया गया है। जिसके बावजद भी उक्त हल्का पटवारी की गलत तथ्यों के आधार पर अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही की जाकर बेदखली के आदेश किये गए है जो सर्वप्रथम ही (न्याय दृष्टान्तों एवं कानूनी मशां अनुरूप) खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाये जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

(3)(8)–यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार भू.अ. की हैसियत से जारी पत्रांक भू0अ0/2017/1032–38 दिनांक 08.04.2017 के तहत गठित टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अतिक्रमण का आधार माना है जबकि उपरोक्त टीम द्वारा बिना किसी सीमा चिन्ह बिन्दू को निश्चित नहीं किये हुये ही सींमाज्ञान किया है जो उपरोक्त टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी अंकित है कि उपरोक्त क्षेत्र संघन आबादी क्षेत्र है जिस कारण गुगल मेप गुगल अर्थ, प्रो आदि सॉफ्टवेयर कम्प्यूटर की मदद लिया जाकर सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जबकि उपरोक्त आधारों पर तैयार की गयी सींमाज्ञान रिपोर्ट को कतई विश्वसनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि उपरोक्त कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर मात्र जानकारी प्रदत करने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिनके संबंध में राजस्व विभाग द्वारा अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कोई भी दिशा निर्देश, परिपत्र सरकुलर आदि जारी नहीं किये गये जानकारी प्रमाणिक कि तारिफ में नहीं आती है मात्र खानापूर्ति करने के लिये संयुक्त रूप से गठित टीम ने उक्त सीमांज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो बिना किसी प्रमाणित माप व आधुनिक प्रमाणिक के संयंत्रों के द्वारा तैयार की गयी होने के बावजूद भी उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय का अभिन्न अंग माना है एवं प्रार्थी अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त अतिक्रमण मानते हुये बेदखली का आदेश प्रदान किया है जो कतई विधि सम्मत व राजस्व नियमों अधिनियमों के अनुकूल नहीं होने से काबिले निरस्त होने से निरस्त फरमाया जावे।

(3)(9) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.04.2017 के आधार पर उक्त अतिक्रमण संबंधी प्रकरण दर्ज कर उक्त बेदखली को आलौच्य आदेश प्रदान किया है जो हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी अपने आप में विरोधाभाषी कथन का वर्णन कर रही है उक्त रिपोर्ट में हल्का पटवारी द्वारा सम्वत 2074 में अपीलार्थी द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण करना बताया है तथा उक्त रिपोर्ट में भी अतिक्रमण पुराना होने का कथन किया है जो अपने आप में विराधाभाषी कथन है जबकि अपीलार्थी द्वारा एवं अपीलार्थी से पूर्व जो भी क्रेतागण उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन रही भूमि के भू स्वामी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

रहे है उनके द्वारा उक्त क्रयसूदा भूमि में पक्के रहवासीय मकानात का निर्माण कर रखा है जो वर्षो पुराना है। प्रार्थी अपीलार्थी को बिना किसी वजह ही हैरान व परेशान करने की नियम से उपरोक्त आलौच्य आदेश अधीन प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाये जाने योग्य है।

(3)(10)– यह है कि आलोच्य आदेश के अधीन रही भूमि खसरा नम्बर 1639 की भूमि रही है जो आबादी की भूमि है के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की गलत रूप से की गयी अतिक्रमण संबंधित रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया एवं उक्त प्रकरण का प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा फेरियस्त दस्तावेजों सहित जबाब प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया था एवं प्रार्थी अपीलार्थी ने अपने जबाब में प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन भी किया कि उपरोक्त एक ही विषय वस्तु को लेकर पूर्व में सक्षम न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है जो आदेश आज भी अंतिम आदेश के रूप में बने हुये है के बावजूद भी उपरोक्त प्रकरण दर्ज करना विधि के सिद्धान्तों के विपरित होकर रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त से प्रभावित होने से उक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

(3)(11) –यह है कि स्थानीय निकाय द्वारा उपरोक्त पटटाधीन भूमियों में रहवास एवं निवास कर रहे व्यक्तियों से गृहकर के रूप में राशि भी वसूल समय समय पर की जाती रही है जो अपीलार्थी सहित अन्य उपरोक्त खसरान भूमि खसरा नम्बर 1639 में रहवास निवास कर रहे अड़ौस पड़ौस के व्यक्तियों द्वारा भी समय समय पर गृहकर रूप में स्थानीय निकाय को राशि अदा की जाती रही है। सहवन से उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों की गलती से गैर मुमकिन खडडा दर्ज हो रखी है जो कि पूर्णतया गलत दर्ज हो रखी है एवं उक्त राजस्व कर्मचारियों की भूल के आधार पर उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन खसरा नम्बर भूमि में रहवास एवं निवास कर रहे अपीलार्थी सहित अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध अधीनस्थ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

न्यायालय ने अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो शुरू से खारिज फरमाया जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

(3)(12) – यह है कि अपीलाधीन आदेश के अधीन रही भूमि जागीर सम्पति होने के कारण तत्कालीन जागीरदार को उक्त भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के लिये पटटा जारी करने का पूर्ण अधिकार था एवं उक्त अधिकारिता के तहत ही आबादी भूमि के रूप में ही उपयोग एवं उपभोग में ली जा रही है उपरोक्त भूमियों का समय समय पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बतौर पदेन उप पंजीयक के रूप में दस्तोवेजों को पंजीकृत भी किया गया है जो पंजीयन के वक्त असल दस्तावेजो का भी निरिक्षण व सत्यापन किया जाता रहा है जिसके बावजूद भी उक्त हल्का पटवारी की गलत तथ्यों के आधार पर अतिक्रमण संबंधि कार्यवाही की जाकर बेदखली के आदेश किये गये है जो सर्वप्रथम ही न्याय दृष्टान्तों एव कानूनी मशां अनुरूप खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाये जावें।

(3)(13) – यह है कि अपीलाधीन आदेश के अधीन रही भूमि जागीर सम्पति होने के कारण तत्कालीन जागीरदार को उक्त भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के लिये पटटा जारी करने का पूर्ण अधिकार था एवं उक्त अधिकारिता के तहत ही आबादी भूमि के रूप में ही उपयोग एवं उपभोग में ली जा रही है उपरोक्त भूमियों का समय समय पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बतौर पदेन उप पंजीयक के रूप में दस्तोवेजों को पंजीकृत भी किया गया है जो पंजीयन के वक्त असल दस्तावेजो का भी निरिक्षण व सत्यापन किया जाता रहा है जिसके बावजूद भी उक्त हल्का पटवारी की गलत तथ्यों के आधार पर अतिक्रमण संबंधि कार्यवाही की जाकर बेदखली के आदेश किये गये है जो सर्वप्रथम ही न्याय दृष्टान्तों एवं कानूनी मशां अनुरूप खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाये जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

(3)(14) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलौच्य आदेश की जानकारी होते ही अविलम्ब प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर अन्य सुसंगत दस्तावेज जो कि प्रार्थी अपीलार्थी के वैद्य कब्जा आधिपत्य से संबंधित है को प्राप्त कर जानकारी तिथि से अविलम्ब अन्दर मियाद ही उपरोक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है एवं उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश के पारित करने की दिनांक एवं जानकारी तिथि से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में लगे समय को कण्डोन किया जाना न्याय संगत है जो उपरोक्त निर्णय से जानकारी होने से उसी रोज अधीनस्थ्रा न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रतियां हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था एवं बाद प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर उपरोक्त अपील प्रार्थी अपीलार्थी को विधिक रूप से प्राप्त अपीलीय अधिकारों के तहत प्रस्तुत की जा रही है जो उपरोक्त समयावधि के कण्डोन हेतु मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा हे तथा प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब मय फेरियस्त दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई गौर फरमाये ही उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य है।

(3)(15) – यह है कि अपीलाधीन आदेश के अधीन रही भूमि जागीर सम्पति होने के कारण तत्कालीन जागीरदार को उक्त भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के लिये पटटा जारी करने का पूर्ण अधिकार था एवं उक्त अधिकारिता के तहत ही आबादी भूमि के रूप में ही उपयोग एवं उपभोग में ली जा रही है उपरोक्त भूमियों का समय समय पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बतौर पदेन उप पंजीयक के रूप में दस्तोवेजों को पंजीकृत भी किया गया है जो पंजीयन के वक्त असल दस्तावेजो का भी निरिक्षण व सत्यापन किया जाता रहा है जिसके बावजूद भी उक्त हल्का पटवारी की गलत तथ्यों के आधार पर अतिक्रमण संबंधि कार्यवाही की जाकर बेदखली के आदेश किये गये है जो सर्वप्रथम ही न्याय दृष्टान्तों एव कानूनी मशां अनुरूप खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाये जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

{4} उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 11.07.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 15.07.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड उनके पत्र क्रमांक 710 दिनांक 30.07.2019 के द्वारा प्राप्त हुआ।

{5}– अपीलान्ट ने दिनांक दिनांक 03.8.21 को प्रार्थना पत्र बाबत क्षेत्राधिकार पेश कर निवेदन किया की मातहत अदालत तहसीलदार लाडनूं द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में बेदखली आदेश पारित करने से पूर्व यह विचार नहीं किया कि विवादित भूमि का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है या नहीं? इस बिन्दू पर प्राथमिक रूप से बहस सुनी जाकर क्षेत्राधिकार के बिन्दू को निर्धारित निर्णय पश्चात ही अपील को अंतिम रूप से गुणावगुण के आधार पर सुनवाई करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट ने दिनांक 10.8.21 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01नियम 10 (2)सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं को पक्षकार बनाने का पेश कर निवेदन किया। तथा इसी दिन एक और प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण करवाने बाबत धारा 151 सी.पी.सी. भी पेश किया ।

अपीलान्ट की उक्त तीनो प्रार्थना प्रार्थना की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का व तीनो प्रार्थना पत्रो का अवलोकन व मनन करने के उपरान्त प्रार्थी के तीनों प्रार्थना पत्र (1)क्षेत्राधिकार (2) अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण करवाने बाबत धारा 151 सी.पी.सी. तथा (3) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

लाडनूं को पक्षकार बनाने बाबत अपीलान्ट के तीनों प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये गये।

{6} प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि में ही पेश की गयी है। अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11.7.2019 को प्रस्तुत की है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.4.2019 को किया गया। इस न्यायालय में अपील पेश करने की सीमा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से या जानकारी होने पर नकल लेने से एक माह की होती है। अपीलान्ट ने अपील की नकले 2.07.2019 को प्राप्त की तथा अप्रार्थीया ने बताया कि उसे निर्णय की जानकारी पहले नहीं थी अतः निर्णय की जानकारी नकल लेने से हुई होने से अपीलार्थी को अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं ।

{7}– वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे तर्क दिया है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी में पूर्णरूप से आबादी बस चुकी है तथा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज से आबादी भूमि के रूप में खरीद की गयी है। निर्माण कार्य हेतु विधिवत रूप से नगरपालिका लाडनूं से अनुमति लेकर ही निर्माण किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध तहसीलदार लाडनूं द्वारा अतिक्रमण हटाने की, की गयी कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस तथ्यो को दोहराते हुवे अन्त यह निवेदन किया है कि अपीलीय आधार पूर्ण रूप से अपीलान्ट के पक्ष में होने से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा मुकदमा संख्या 21/17 बअनुवान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

हल्का पटवारी लाडनूं बनाम रामप्रसाद में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2019 को खारिज फरवाने का आदेश प्रदान करावें।

{8} – बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात का अध्ययन किया गया । प्रकरण में तहसीलदार लाडनूं द्वारा कमेटी कठित कर रिपोर्ट प्राप्त की गयीं। तहसीलदार लाडनूं से दिनांक 09.07.2021 को प्राप्त वर्तमान मौका जांच रिपोर्ट अनुसार विचाराधीन भूमि कस्बा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 व उसके नये तरमीम अमल दरामद नये खसरे का मौका देखा गया। अतिक्रमी रामप्रसाद पुत्र रामगोपाल जांगीड़ निवासी लाडनूं के द्वारा खसरा नम्बर 1639 व नया खसरा तरमीम के बाद 2936/1639 गै0मु0 खडडा में 0.02 बिस्वा भूमि पर कारखाना लोहे का बनाया हुआ है। जिसका वर्तमान नया खसरा तरमीम व ऑनलाईन नक्शा व जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौका अनुसार मिलान किया गया है। मौके पर वर्तमान ऑनलाईन नक्शा के अनुसार रामप्रसाद पुत्र रामगोपाल जांगीड़ की कब्जा भूमि खसरा नया 2292/1639 गै0मु0 आबादी व खसरा नम्बर 1639/1, खसरा नम्बर 1639/2 गै0मु0 आबादी खसरा नम्बर 3011/1639 गै0मु0आबादी के खसरों के मध्य में 02 बिस्वा भूमि है। वह रामप्रसाद द्वारा मौके पर उक्त भूमि अपनी क्रय शुदा पुराने आबादी पटटा शुदा भूमि बताई गई है। जिसकी पंजीयन रजिस्ट्री व नगरपालिका का अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश किये गये है जो पूर्व में सन् 2012 से कृषि भूमि में से आबादी पटटा भूमि बताई गई है जो घनश्यामलाल के नाम से खातेदारी भूमि थी। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार रामप्रसाद जांगीड़ की कब्जाशुदा भूमि नया खसरा नम्बर 2936/1639 गै0मु0 खड्डा भूमि का हिस्सा हैं।

तहसीलदार लाडनूं की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त भूमि क्रय शुदा रजिस्ट्री व पुराना आबादी पटटा भूमि में से बताया है जिसकी रजिस्ट्री भी पेश की है। मौके के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0नं0 1639/1 खसरा नम्बर 1639/2 गै0मु0 आबादी खसरा नम्बर 3011/1639 गै0मु0आबादी के खसरों के मध्य में 02 बिस्वा भूमि है जिसमें चार दिवारी बनायी हुई है। इस भूमि के चारों तरफ मकानात आबादी बनी हुई है। इस प्रकार प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

पेश दस्तावेजात एवं नवीनतम राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेश व तरमीम की वास्तविक स्थिति की जॉच की जानी आवश्यक है।

:::: आदेश ::::

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.04.2019 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडनूं को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि सभी दस्तावेजात का सही सही पुनः परीक्षण जॉच एवं विश्लेषण कर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)